इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2025–अग्रहायण 14, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उज्जैन, विकास प्राधिकरण उज्जैन, मध्यप्रदेश

विशाला भवन, भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, देवास रोड, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 नवम्बर 2025

"प्ररूप अठारह"

[नियम 19 (5) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्रारुप नगर विकास स्कीम बनाने की घोषणा हेतु सूचना]

क्र.–15075–TDS07–UJN–2024–147–25.– एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन द्वारा प्रारुप नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-07/UJN/2024 ग्राम खिलचीपुर, हक्कानीपुरा एवं उण्डासा तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता हैं कि इसके नियम 19 के उपनियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:–

1. उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन विशाला भवन प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन.
2. कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, विशाला भवन प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन.
3. उज्जैन विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www-udaujjian-org पर उपलब्ध है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो नगर विकास स्कीम के प्रारुप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जावेगा.

संदीप कुमार सोनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(G-7100)

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन)

ब्लाक नं. 2, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2025

क्र.–04–02–195–यो.रूपां.–9011.– यह कि केन्द्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उपनियमों सहित) की धारा 67(2) एवं धारा 176(2) (ड.) के अधीन कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जो कि मध्यप्रदेश शासन का उयक्रम है एवं पारेषण अनुज्ञत्तिधारी है, ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अतिउच्चदाब विद्युत उपकेंद्री से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने, राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने एवं विद्यमान पारेषण प्रणाली को सुदृढीकरण के उद्देश्य से 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की है.

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:–

(1) **नामः** ये परियोजनायें 220 एवं 132 किलोवोल्ट (केव्ही) लाइनों एवं उपकेन्द्रों से संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी.

(2) **परियोजनाओं का विवरणः** परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लम्बाई का विवरण निम्नानुसार है:–

(I) महत्त्वपूर्ण नये विभागीय कार्यः

(क) 220 केव्ही लाइन निर्माण कार्यः

1. 400 के.वी. गुना (टी.बी.सी.बी.) से भोंरा (नया) 220 के.वी. सबस्टेशन तक 220 के.वी. डी.सी.डी.एस. लाइन, कुल लंबाई 50 किमी.

(ख) 132 केव्ही लाइन निर्माण कार्यः

1. भोंरा (132 केवी मौजूदा) राघौगढ़ 132 केवी लाइन का भोंरा (नया) 220 केवी सबस्टेशन पर लीलो कार्य, कुल लंबाई 2X10 किमी.
2. भोंरा (132केवी मौजूदा) कपासी 132 केवी लाइन के एक सर्किट का भोंरा (नया) 220 केवी सबस्टेशन पर लीलो कार्य, कुल लंबाई 2X10 किमी.
3. भोंरा (132 केवी मौजूदा)–220 गुना 132 केवी लाइन के एक सर्किट का भोंरा (नया) 220 केवी सबस्टेशन पर लीलो कार्य, कुल लंबाई 2X10 किमी.
4. गुना 220–गाडला 132 केवी डीसीडीएस लाइन के एक सर्किट का भोंरा (नया) 220 केवी सबस्टेशन पर लीलो कार्य, कुल लंबाई 2X15 किमी.

(ग) 220 केव्ही नवीन उपकेंद्र निर्माणः

(1) भौरा (जिला–गुना) के निकट नए 220/132/33 केवी सबस्टेशन की स्थापना

(II) उपभोक्ता सहभागिता कार्यः

(क) 220 केव्ही परिणामित्र स्थापना कार्यः

1. आरटीएस रतलाम और बामना (सीसीडब्ल्यू) के लिए 3 फेज डबल सर्किट लाइन के लिए 220 केवी नागरा में 200 एमवीए ट्रांसफार्मर की स्थापना के साथ 02 नग 132 केवी फीडर बे और 132 केवी स्विच यार्ड के निर्माण का कार्य.

(ख) 220 केव्ही पारेषण लाइनः

1. मुरैना (फेज–1) सोलर पार्क के PSS–2 से सबलगढ़ 400 केवी सबस्टेशन तक उच्च एम्पैसिटी कंडक्टर के साथ 220 केवी डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य.
2. 220 केवी पीएसएस–2 के एक सर्किट को सबलगढ़ 400 केवी सबस्टेशन से पीएसएस–1 पर उच्च एम्पैसिटी कंडक्टर के साथ डिपोजिट कार्यों के तहत् लिलो करने के लिए 220 केवी डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य.
3. पश्चिम रेलवे, रतलाम के रतलाम खण्डवा खण्ड के बीच ओंकारेश्वर मुखत्यारा बलवाड़ा स्टेशनों के आमान परिवर्तन के कारण 220 केवी इन्दौर बडवाहा लाइन का लोकेशन संख्या–108 से 118 तक संशोधन/स्थानांतरण कार्य.
4. एनएचएआई. विदिशा द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत् एनएच–346 के विदिशा से हिनोतिया तक किमी 0.000 से किमी 27.000 (विदिशा–मेहुलवा तालबेहट पैकेज– I) खण्ड पर 4 लेन राजमार्ग के निर्माण के कारण विदिशा में 220 केवी बीना भोपाल लाइन के एलआईएलओ का लोकेशन संख्या–60 से 63 तक संशोधन/स्थानांतरण कार्य.
5. एनएच–346 विदिशा के मेहुलवा गांव खण्ड के पास हिनोतिया गांव के पास किमी 27+000 (मौजूदा राजमार्ग–19 किमी 16+530 में से) से किमी 75+700 (मौजूदा राजमार्ग–19 किमी 74+820 में से) तक डिनोतिया से मेहुलवा तक पक्के कंधों वाली दो लेन सड़क के निर्माण के कारण 220 केवी डीसीडीएस भोपाल–बीना लाइन का लोकेशन संख्या–185 से 188 तक संशोधन/स्थानांतरण कार्य.
6. एनएच–346 विदिशा के मेहुलवा गांव खण्ड के पास हिनोतिया गांव के पास किमी 27+000 (मौजूदा राजमार्ग–19 किमी 16+530 में से) से किमी 75+700 (मौजूदा राजमार्ग–19 किमी 74+820 में से) तक हिनौतिया से मेहुलवा तक पक्के कंधों के साथ दो लेन सड़क के निर्माण के कारण 220 केवी डीसीडीएस भोपाल–बीना लाइन के लोकेशन क्रमांक 181 से 185 तक संशोधन/स्थानांतरण कार्य.
7. एनएच–346 विदिशा के मेहुलवा गांव खण्ड के पास हिनोतिया गांव के पास किमी 27+000 (मौजूदा एसएच–19 किमी 10+530 में से) से किमी 75+700 (मौजूदा एसएच–19 किमी 74+820 में से) तक हिनोतिया से मेहुलवा तक पक्के कंधों के साथ दो लेन सड़क के निर्माण के कारण 220 केवी डीसीडीएस भोपाल बीना लाइन के लोकेशन क्रमांक–113 से 117 तक संशोधन/स्थानांतरण कार्य.
8. एनएच–346 विदिशा के मेहुलवा गांव खण्ड के पास हिनौतिया गांव के पास किमी 27+000 (मौजूदा राजमार्ग–19 किमी 16+530 में से) से किमी 75+700 (मौजूदा राजमार्ग–19 किमी 74+820 में से) तक हिनोतिया से मेहुलवा तक पक्के कंधों के साथ दो लेन सड़क के निर्माण के कारण के 220 केवी डीसीडीएस भोपाल बीना लाइन के लोकेशन क्रमांक–105 से 109 तक संशोधन/स्थानांतरण कार्य.
9. एनएचएआई, जबलपुर द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एनएच–45 के मानेगांव को किमी 19.050 से किमी 39.180 तक 4 लेन बनाने के कारण 220 केवी डीसीडीएस जबलपुर नरसिंहपुर लाइन का लोकेशन संख्या 26 से 31 तक संशोधन/स्थानांतरण कार्य.
10. पश्चिम रेलवे रतलाम के पीथमपुर सागोर खण्ड में रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) संख्या 236–ए के निर्माण के कारण लोकेशन संख्या 5–एआर और 7–एआर से 220 केवी डीसीडीएस पीथमपुर आई/सी सर्किट–1 और सर्किट–2 लाइन का संशोधन/स्थानांतरण कार्य.
11. जल संसाधन संभाग, सीहोर/भोपाल के कन्याखेड़ी सिंचाई परियोजना, आष्टा, जिला सीहोर के डूब क्षेत्र से एमपीपीटीसीएल के लोकेशन क्रमांक–270 से 290 तक 220 केवी डीसीडीएस जैतपुरा–आष्टा लाइन का संशोधन/स्थानांतरण कार्य.
12. जल संसाधन संभाग, सीहोर भोपाल के कन्याखेड़ी सिचाई परियोजना, आष्टा, जिला सीहोर के डूब क्षेत्र से 220 केवी डीसीडीएस देवास–आष्टा लाइन के लोकेशन क्रमांक–189 से 204 तक का संशोधन/स्थानांतरण कार्य.

13. पश्चिम् रेलवे, रतलाम द्वारा दाहोद इन्दौर नई लाइन कार्य के संबंध में अमझेरा, सरदारपुर सेक्शन के बीच 220 केवी पीथमपुर/धार, राजगढ़ लाइन के लोकेशन संख्या–172 से 179 तक का संशोधन / स्थानांतरण कार्य.

14. स्मार्ट औद्योगिक टाउनशिप, निवेश क्षेत्र, रतलाम (म.प्र.) को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए रतलाम स्विचिंग (नगरा) 220 केवी सबस्टेशन से प्रस्तावित 220 केवी सबस्टेशन एमपीआईडीसी, रतलाम तक उच्च एम्पैसिटी कंडक्टर के साथ 220 केवी डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य.

15. एनएचएआई कटनी द्वारा भारत माला परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे एनएच–135 बीजी के सतना–मैहर खण्ड में सड़क के मिसिंग लिंक खण्ड के निर्माण के कारण 220 केवी डीसीडीएस सतना–रीवा/बिरसिंहपुर लाइन को मौजूदा लोकेशन संख्या 25 से मौजूदा लोकेशन संख्या 30 पर संशोधित /स्थानांतरित कार्य.

16. 400 केवी सबस्टेशन आष्टा से मेसर्स टीएसीसी लिमिटेड (सी/ओ एचईजी) देवास के एनोड निर्माण संयंत्र तक ग्राम सिरसोदा औद्योगिक क्षेत्र, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास को विद्युत आपूर्ति के लिए 220 केवी डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य.

17. पश्चिम रेलवे, रतलाम के दाहोद इन्दौर में तिरला अमझेरा खण्ड के बीच नई रेलवे लाइन के निर्माण के कारण 220 केवी डीसीडीएस राजगढ़ पीथमपुर लाइन की लोकेशन संख्या–119 से 125 पर संशोधन / स्थानांतरण कार्य.

18. 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. इन्दौर (400 के.व्ही उपकेन्द्र) इन्दौर (साउथ झोन) इन्टरकनेक्टर सर्किट 1 एवं 2 की क्षमता बढ़ाने के लिये जेब्रा समतुल्य एच.टी.एल.एस. कण्डक्टर द्वारा रि–कडक्टरिंग कार्य.

19. 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. इन्दौर (400 के.व्ही. उपकेन्द्र) इन्दौर (साउथ झोन) इन्टरकनेक्टर सर्किट 3 की क्षमता बढ़ाने के लिये जेब्रा समतुल्य एच.टी.एल.एस. कण्डक्टर द्वारा रि–कडक्टरिंग कार्य.

20. 220 के.व्ही पीथमपुर/धार राजगढ़ लाइन में लो.क्र 120 से 126 तक पश्चिम रेल्वे रतलाम द्वारा निर्माणाधीन दाहोद इन्दौर नवीन रेल लाइन के तिरला अमझेरा खण्ड में संशोधन विस्थापन कार्य.

21. 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. भोपाल विदिशा लाइन के 220 के.व्ही विदिशा लीलो लाइन की लो क्र. 57–69 के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विदिशा से हनोतिया फोर लेन रोड के निर्माण के कारण संशोधन/विस्थापन कार्य.

22. 220 के.व्ही. सीधी हिंण्डालको लाइन का रेल्वे क्रासिंग लो.क्र. 177 से 185 के मध्य विस्थापन कार्य.

(ग) 132केव्ही पारेषण लाइनः

1. टीआरडी डिवीजन जबलपुर के आरटीएस मझगवां (चितहारा) को 3 फेज डबल सर्किट विद्युत आपूर्ति के लिए मौजूदा 132 केवी 2 फेज 2 वायर (डीसीएसएस) मझगवां मझगवां (चितहारा) आरटीएस लाइन को 3 फेज 6 वायर (डीसीडीएस) लाइन में अपग्रेड करना.

2. टीआरडी डिवीजन जबलपुर के आरटीएस बनखेड़ी को 3–फेज डबल सर्किट विद्युत आपूर्ति के लिए मौजूदा 132 केवी 2फेज 2 वायर (डीसीएसएस) बनखेड़ी, बनखेड़ी आरटीएस लाइन को 3 फेज 6 वायर (डीसीडीएस) लाइन में अपग्रेड करना.

3. टीआरडी डिवीजन जबलपुर के आरटीएस बागरातवा को 3–फेज डबल सर्किट विद्युत आपूर्ति के लिए मौजूदा 132 के.वी. 2 फेज 2 वायर (डीसीएसएस) सेमरी हरचंद बागरातवा आरटीएस लाइन को 3 फेज 6 वायर (डीसीडीएस) लाइन में अपग्रेड करना.

4. पश्चिम मध्य रेलवे, मोपाल की रामगंज मंडी भोपाल नई बीजी लाइन के विद्युतीकरण के सहयोग से 132 केची 3 फेज 6 वायर (डीसीडीएस) पीलूखेड़ी–आरटीएस कुरावर लाइन का निर्माण कार्य.

5. पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के आरटीएस हरदा को 3 फेज विद्युत आपूर्ति हेतु मौजूदा 132 केवी 2फेज 4 वायर (डीसीडीएस) हरवा–आरटीएस हरदा ट्रैक्शन लाइन के स्थान पर 132 केवी 3 फेज 6 वायर (डीसीडीएस) लाइन का निर्माण कार्य.

8. पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के आरटीएस मुंगावली को 3 फेज विद्युत आपूर्ति हेतु मौजूदा 132 केवी 2 फेज 4 वायर (डीसीबीएस) मुंगावली 132 मुंगावली ट्रैक्शन लाइन के स्थान पर 132 केवी 3 फेज 6 वायर (डीसीडीएस) लाइन का निर्माण कार्य.

7. पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के आरटीएस नागौद को विद्युत आपूर्ति के लिए 132 केवी सबस्टेशन नागौद से प्रस्तावित रेलवे टीएसएस नागौद तक 132 केवी 3 फेज 6 वायर (डीसीडीएस) लाइन का निर्माण कार्य.

8. पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर की रीवा–सीधी सिंगरौली नई ब्रॉड गेज लाइन परियोजना में 132 केवी 3 फेज 6 वायर (डीसीडीएस) देवसर आरटीएस देवसर लाइन का निर्माण कार्य.

9. पश्चिम रेलवे, रतलाम के गोधरा रतलाम खण्ड पर मुंबई–नई दिल्ली मार्ग पर आरटीएस बामनिया को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 केवी सबस्टेशन पेटलावद से 132 के.वी. डी.सी.डी.एस. (3 फेज 6 वायर) लाइन का निर्माण कार्य.

10. जल संसाधन विभाग, मन्दसौर की तहसील मल्हारगढ़ के ग्राम अरनिया जटिया में दाबित सूक्ष्म उद्वहन सिचाई परियोजना को विद्युत आपूर्ति के लिए 132 केवी सबस्टेशन मल्हारगढ़ से 132 केवी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य.

11. पश्चिम रेलवे के आरटीएस अंबेडकर नगर को विद्युत आपूर्ति के लिए 132 केवी सबस्टेशन सिमरोल से 132 केवी 3 फेज 3 वायर (डीसीएसएस) लाइन का निर्माण कार्य.

12. एनबीडीए, एनडीडी–21, सनावद, जिला खरगोन की झिरनिया सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए पंप हाऊस–1 को बिजली आपूर्ति के लिए 400 केवी सबस्टेशन छेगांव से 132 के.वी. डीसीएसएस लाइन का निर्माण और 400 केवी सबस्टेशन छेगांव में संबंधित व शिफ्टिंग कार्य.

13. मेसर्स सिंटेक्स एडवांस प्लास्टिक लिमिटेड, जमुनिया खेजड़ा औद्योगिक क्षेत्र, जिला रायसेन को विद्युत आपूर्ति के लिए प्रस्तावित्त 132 केवी सबस्टेशन जमुनिया खेजड़ा पर 132 केवी अयोध्या नगर–विदिशा लाइन के लिलो के लिए 132 केवी डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य.

14. सतना–पन्ना नई ब्रॉड गेज लाइन के मार्ग में पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के आरटीएस रामपुर नैकिन को विद्युत आपूर्ति के लिए 132 केवी सबस्टेशन रामपुर नैकिन से आरटीएस रामपुर नैकिन तक 132 केवी 3 फेज 6 वायर (डीसीडीएस) लाइन और 132 केवी सबस्टेशन रामपुर नैकिन पर 132 केवी रीवा 220–बाणसागर–IV लाइन (द्वितीय सर्किट) की संबद्ध लाइन का निर्माण कार्य.

15. लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग, भोपाल के एनएच–752–सी शुजालपुर बाईपास रोड के कि.मी. 33+100 से 43+570 तक निर्माण के कारण 132 केवी एस/सी शुजालपुर अरनियाकला लाइन का लोकेशन 3 से 6–16 तक संशोधन/स्थानांतरण कार्य.

16. लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग, भोपाल के एनएच–752–सी शुजालपुर बाईपास रोड के कि.मी. 33+100 से 43+670 तक निर्माण के कारण लोकेशन क्रमांक 15 से 20 तक 132 केवी डीसीडीएस शुजालपुर–मोहम्मद खेड़ा आरटीएस–I और II लाइन का संशोधन/स्थानांतरण कार्य.

17. पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के आरटीएस कैमा को 3 फेज 6 वायर विद्युत आपूर्ति के लिए मौजूदा 132 केवी डीसीएसएस (2फेज 2 वायर) कोटार 220 आरटीएस कैमा लाइन को डीसीडीएस (3 फेज 6 वायर) लाइन में अपग्रेड करना.

18. पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल के आरटीएस सीईएआर (छनेरा) को विद्युत आपूर्ति के लिए 220 केवी सबस्टेशन छनेरा से 132 केवी 3 फेज 6 वायर (डीसीडीएस) लाइन का निर्माण कार्य.

19. 26 वाहन अंडरपास और 04 सर्विस रोड एवं मेटल बीम क्रैश बैरियर की स्थापना और एनएच–44 (पुराना एनएच–26) के किमी. 99.005 से 415.089 खण्ड पर लाहटपुर–सागर–लखनादौन पर संकटग्रस्त पुल का विध्वंस और पुनः निर्माण के कारण 132 केवी डीसीएसएस गौरझामेर देवरी लाइन का लोकेशन संख्या–70 से 77 तक संशोधन/स्थानांतरण कार्य.

20. एमपीआईडीसी, इंदौर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र जेतपुर–पलासिया, तहसील धामनोद, जिला धार में मेसर्स बायोऊर्जा एनर्जी एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड को एमपीआईडीसी द्वारा आवंटित प्लॉट क्रमांकः I –1.2 और 3 से गुजरने वाली लोकेशन क्रमांक–17 से 26 तक 132 केवी डीसीडीएस निमरानी–मनावर / धामनोद लाइन का एलआईएलओ का संशोधन/स्थानांतरण कार्य.

21. पश्चिम रेलवे रतलाम के पीथमपुर सागोर खण्ड में रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) संख्या 236 ए के निर्माण के कारण 132 केवी एस/सी पीथमपुर ब्रिजस्टोन लाइन का लोकेशन संख्या 5 एआर से 9 तक संशोधन/स्थानांतरण कार्य.

22. एमपीआईडीसी, इंदौर के विशेष आर्थिक क्षेत्र पीथमपुर में औद्योगिक भूखण्डों से गुजरने वाली 132 केवी पीथमपुर सेक्टर 3 पीथमपुर सेक्टर 1/ एसईजेड डीसीडीएस लाइन का लोकेशन नंबर 5 से 24आर तक संशोधन/ स्थानांतरण कार्य.

23. जल संसाधन संभाग, सीहोर/भोपाल के कन्याखेड़ी सिंचाई परियोजना, आष्टा, जिला सीहोर के डूब क्षेत्र से 132 केवी आष्टा एसईएल लाइन के लोकेशन क्रमांक–37 से 49 तक का संशोधन/स्थानांतरण कार्य.

24. रानी अवंती बाई लोधीसागर नहर संभाग, नरसिंहपुर के नरसिंहपुर और रायसेन जिले में नर्मदा नदी पर एकीकृत सिंचाई परियोजना के लिए 45.5 एमवीए की अनुबंध मांग के लिए 220 केवी सबस्टेशन उदयपुरा से चौरास, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन में स्थित प्रस्तावित्त 132/11 केवी सबस्टेशन पम्प हाऊस 4–ए तक 132 केवी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य.

25. रानी अवंती बाई लोधीसागर नहर संभाग, नरसिंहपुर की 16.4 एमव्हीए सिंचाई परियोजना के ग्राम सिमरियाखुर्द, तहसील तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर में नियोजित पम्प स्टेशन 2 को विद्युत आपूर्ति के लिए 132 केवी उपकेन्द्र तेंदूखेड़ा से 132 केवी डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य.

26. पश्चिम रेलवे, रतलाम द्वारा दाहोद इन्दौर नई लाइन कार्य के संबंध में अमझेरा सरदारपुर खण्ड के बीच 132 केवी एस/सी धार–राजगढ़ लाइन के लोकेशन संख्या 331 से 338 तक का संशोधन/स्थानांतरण कार्य.

27. बैढन (सिंगरौली) में निर्माणाधीन सरकारी परिसर से गुजरते हुए मेडिकल कॉलेज, बैढ़न (सिंगरौली), नौगढ़ जिला सिंगरौली से 132 केवी राजमिलान मोरया लाइन के लिलो भाग का लोकेशन नंबर 28 से 35 तक संशोधन/ शिफ्टिंग कार्य.

28. पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के 220 केवी सबस्टेशन चिचली से नव प्रस्तावित 2X25 केवी आरटीएस करेली तक 132 केवी 3 फेज 6 वायर (बीसीडीएस) लाइन का निर्माण कार्य.

29. एमपीआईडीसी, इन्दौर के औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर–3, पीथमपुर जिला धार में मेसर्स ओएफबी टेक प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित प्लॉट संख्या 828 से पीथमपुर सेक्टर–3 बेटमा 132 केवी लाइन के लोकेशन संख्या 6 से 9 बीआर तक के टैप हिस्से (डीसीएसएस) का संशोधन/स्थानांतरण कार्य.

30. एनएचएआई कटनी द्वारा भारत माला परियोजना के तहत् एनएच–135 बीजी के सतना–मैहर खण्ड में सड़क निर्माण के कारण मौजूदा लोकेशन संख्या–25 से मौजूदा लोकेशन संख्या–30 तक 132 केवी बीसीएसएस सतना–1/सी सर्किट 1 लाइन का संशोधन/स्थानांतरण कार्य.

31. एनएचएआई कटनी द्वारा भारत माला परियोजना के तहत् एनएच–135 बीजी के सतना–मैहर खण्ड में सड़क निर्माण के कारण 132 केवी डीसीडीएस सतना–सतना I/C–II/उचेहरा लाइन को मौजूदा लोकेशन संख्या–234 से मौजूदा लोकेशन संख्या–229 पर संशोधित/स्थानांतरित कार्य.

32. एन.एच.ए.आई. कटनी द्वारा भारत माला परियोजना के तहत् एनएच–135 बीजी के सतना–मैहर खण्ड में सड़क निर्माण के कारण मौजूदा लोकेशन संख्या–32 से मौजूदा लोकेशन संख्या–37 तक 132 केवी डीसीडीएस सतना–प्रिज्म सीमेंट लाइन का संशोधन/स्थानांतरण कार्य.

33. एनएचएआई कटनी द्वारा भारत माला परियोजना के तहत् एनएच–135 बीजी के सतना मैहर खण्ड में सड़क निर्माण के कारण मौजूदा लोकेशन संख्या–27 से लोकेशन संख्या–32 तक 132 केवी डीसीडीएस सतना मझगवां/सतना सीमेंट लाइन का संशोधन/स्थानांतरण कार्य.

34. 132 के.व्ही. डी.सी डी.एस. नेपानगर–बहादरपुर लाइन लो. क्र. 53 से 59 NH–753 बोरगांव बुर्जुग से मुक्ताई नगर सेक्शन 4 लेन निर्माण (भारत माला परियोजना) के कारण लाइन संशोधन/विस्थापन कार्य.

36. 132 के. व्ही पीथमपुर बेटमा लाइन में लो.क्र. 35 से 41 तक पश्चिम रेलवे रतलाम द्वारा निर्माणाधीन दाहोद इन्दौर नवीन रेल लाइन के कारण संशोधन/विस्थापन कार्य.

36. 132 के.व्ही. बालाघाट लालबर्रा/वारासिवनी लाइन में लो.क्र. 05 से 09 तक लोक निर्माण विभाग बालाघाट द्वारा निर्माणाधीन गर्रा रेलवे क्रांसिंग ओवर ब्रिज के कारण संशोधन/विस्थापन कार्य.

37. 132 के.व्ही. डी. सी. एस.एस. विदिशा शमशाबाद लाइन के लो.क्र. 71–79 के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विदिशा से हनोतिया फोर लेन रोड के निर्माण के कारण संशोधन/विस्थापन कार्य.

38. 132 के. व्ही. डी.सी.डी.एस. भोपाल विदिशा लाइन के लो. क्र. 143–162 के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विदिशा से हनोतिया फोर लेन रोड के निर्माण के कारण संशोधन/विस्थापन कार्य.

39. 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विदिशा सांची रेलवे ट्रेक्शन लाइन के लो.क्र. 28–39 के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विदिशा से हनोतिया फोर लेन से निर्माण के कारण संशोधन/विस्थापन कार्य.

40. 132 के व्ही. डी.सी.डी.एस. भोपाल बी. एच.ई.एल./एस.टी.डी.एस. लाइन के लो. क्र. 15–19 के मध्य मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड द्वारा जे. के. रोड पर मेट्रो रेल के क्रासिंग के कारण संशोधन/विस्थापन कार्य.

41. कलियासोत बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली 132 के व्ही. MACT लिलो लाइन (132 के.व्ही. MACT–मण्डीदीप व MACT–अमरावत खुर्द) के लोकेशन क्र. 04–16 के मध्य संशोधन/शिफ्टिंग कार्य.

42. 132 के.व्ही. भोपाल बगरोदा एवं MACT मण्डीदीप लाइन के लोकेशन क्रमांक 245 R–249 के मध्य मेसर्स VE commercial vehicle Ltd. के द्वारा सशोधन/शिफ्टिंग विस्थापन कार्य.

43. 132 के व्ही. भोपाल–बगरोदा एवं मंडीदीप इंटरकनेक्टर–2 लाइन से लोकेशन क्रमांक AP–6 एवं AP–7 के मध्य मेसर्स एच.ई.जी. के परिसर में स्थान की कमी के कारण मेसर्स एच.ई.जी. के द्वारा संशोधन/शिफ्टिंग विस्थापन कार्य.

44. सदावल तालाब के डूब क्षेत्र से टावर बाहर शिफ्ट करने हेतु 132 के व्ही. उज्जैन रातडिया एस.सी. लाइन की लोकेशन 40–50 के मध्य मॉडिफिकेशन कार्य.

45. 132 के.व्ही. रजमिलान मोरवा सर्किट का लिलो बैढ़न लाइन का निर्माणधीन मेडिकल कॉलेज परिसर से गुजरने के कारण लो.क्र. 32 से 36 के मध्य विस्थापन कार्य.

46. 132 के.व्ही. सीधी–सिहावल लाइन रेल्वे क्रासिंग लो.क्र. 51 से 55 के मध्य विस्थापन कार्य.

47. 132 के.व्ही. सीधी–देवसर लाइन रेल्वे क्रासिंग लो.क्र. 166 से 170 के मध्य विस्थापन कार्य.

48. 132 के.व्ही. सतना–प्रिज्म सीमेन्ट लाइन रेल्वे क्रासिंग लो.क्र. 127 से 133 के मध्य विस्थापन कार्य.

49. 132 केव्ही डीसीडीएस नरसिंहपुर इंटरकनेक्टर सर्किट 1 एवं 2 लाइन की क्षमता बढ़ाने के लिये पूर्व स्थापित AAAC Panther कंडक्टर को बदलकर पैंथर समतुल्य एच.टी.एल.एस. कंडक्टर द्वारा री–कंडक्टरिंग कार्य.

(3) टॉवर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकारः

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम, 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खंबे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उपनियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत् भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त है. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनाएं राजपत्र एवं समाचार–पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं.

धीरेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.).

(G-7101)

मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर, मध्यप्रदेश

प्रधान कार्यालयः "वित्त भवन" मुम्बई–आगरा मार्ग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 20 नवम्बर 2025

सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश वित्त निगम के अंशधारियों की सत्तरवीं वार्षिक साधारण बैठक सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2025 को दोपहर 4.00 बजे "वित्त भवन", मुम्बई–आगरा मार्ग, इन्दौर स्थित निगम के प्रधान कार्यालय में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादन किया जायेगाः–

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि लेखों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान निगम के कार्यों के सम्बन्ध में संचालक मण्डल की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार.
2. वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति पर विचार.
3. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय जो बैठक में प्रस्तुत किया जावे.

निगम की अंशबही दिनांक 2 दिसम्बर, 2025 से 22 दिसम्बर, 2025 तक (दोनों दिन मिलाकर) बन्द रहेगी.

नोटः–

(क) सत्तरवीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतिलिपियों (उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित जिसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था) जिसमें कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हों, निगम कार्यालय में बैठक के 4 दिन पूर्व (सम्पूर्ण दिन) अर्थात् 16 दिसम्बर, 2025 तक पहूँच जाना चाहिए.

(ख) प्रतिपत्र (प्रॉक्सी) निगम के कार्यालय में बैठक के 7 दिन (सम्पूर्ण दिन) पूर्व अर्थात् 11 दिसम्बर 2025 तक पहूँच जाना चाहिए.

(ग) अंशधारियों की सूची एक रुपया प्रति की दर से निगम कार्यालय में बैठक के तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध हो सकेगी.

संचालक मण्डल के आज्ञानुसार,

वन्दना वैद्य, प्रबन्ध संचालक.

Indore, the 20th November 2025

Notice is hereby given that the 70th Annual General Meeting of the Shareholders of the Madhya Pradesh Financial Corporation will be held at the Head Office of the Corporation, "Finance House", Mumbai-Agra Road, Indore, on Monday, the 22nd December 2025 at 4.00 pm to transact the following businesses:-

1. To read and consider the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Corporation for the year which ended on 31st March, 2025 (together with the Report of the Auditors thereon) and the Report of the Board of Directors of the Corporation on its working during the year.
2. To consider appointment of Statutory Auditors for the Financial Year 2025-26.
3. Any other business which may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

The Share Register of the Corporation will remain close from 2nd December 2025 to 22nd December, 2025 (both days inclusive).

NOTES : -

(a) Certified copies (certified to be true copies by the Chairman of the meeting in which the resolution is passed) of the Resolutions appointing duly authorized representatives by Companies to attend the 70th Annual General Meeting should reach the office of the Corporation not later than four clear days i.e. 16th December 2025.

(b) Proxies should reach the office of the Corporation not later than seven clear days before the date fixed for the meeting i.e. 11th December 2025.

(c) Lists of Shareholders are available at the office of the Corporation for purchase by Shareholders at a price of Re. 1/- per copy, three weeks before the date fixed for the meeting.

By order of the Board of Directors,

VANDANA VAIDHYA, Managing Director.

(G-7102)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश राजनिधि (RAJNIDHI) अंकित हो गया है. जबकि मेरा सही नाम राजनीता बाई (RAJNEETA BAI) है. जबकि मेरी अंकसूची एवं अन्य दस्तावेजों में सही नाम राजनीता बाई (RAJNEETA BAI) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम राजनीता बाई (RAJNEETA BAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(राजनिधि)
(RAJNIDHI)

नया नाम
(राजनीता बाई)
(RAJNEETA BAI)
पुत्री– बलवान सिंह
(BALBAN SINGH)
निवासी– ग्राम पैकोली, तहसील पोस्ट गरेंठा,
सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-7103)

नाम परिवर्तन

मै, सुनील कुमार ठाकुर पुत्र छन्नूलाल ठाकुर, निवासी– ग्राम सिंगोरी, पोस्ट सूखा भारतपुर, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर (म.प्र). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश दुर्गा प्रसाद (Durga Prasad) नाम दर्ज हो गया, जो कि गलत है. जबकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों पर सत्यम ठाकुर (Satyam Thakur) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सत्यम ठाकुर नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(सुनील कुमार ठाकुर)
पुत्र– छन्नूलाला ठाकुर.

(G-7104)

नाम परिवर्तन

मैं, शालक राम पुत्र श्री हमीर सिंह सेन, निवासी–मगरधा रोड, गुरारिया, मगरधा, रायसेन, बरेली (म.प्र.). मेरी पुत्री के शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका अंग्रेजी व हिन्दी में नाम व सरनेम गुनगुन सेन (GUNGUN SEN) पुत्री सालक राम (SALAK RAM) दर्ज हो गया है व अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम व सरनेम गीता सेन (GEETA SEN) पुत्री श्री सालकराम सेन (SALAKRAM SEN) है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश गुनगुन सेन (GUNGUN SEN) पुत्री सालक राम (SALAIK RAM) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम व सरनेम गीता सेन (GEETA SEN) पुत्री श्री सालकराम सेन (SALAKRAM SEN) के नाम व सरनेम से जानी–पहचानी जावे.

आवेदक
(सालक राम)
(SALAKRAM SEN)
पुत्र– श्री हमीर सिंह सेन.

(G-7105)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम सुनीता शर्मा पुत्री संतोष शर्मा (SUNITA SHARMA D/o. SANTOSH SHARMA), निवासी–खेजड़ा, सगाखेड़ी, विदिशा (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम खुशी शर्मा पुत्री संतोष कुमार शर्मा (KHUSHI SHARMA D/o. SANTOSH KUMAR SHARMA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम सुनीता शर्मा पुत्री संतोष शर्मा (SUNITA SHARMA D/o. SANTOSH SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे

आवेदक
(संतोष शर्मा).

(G-7106)

उपनाम परिवर्तन

मैं, नारायण राम (Narayan Ram) आत्मज श्री रामजी राम गोंड, निवासी–म.नं. 17, गली न. 2, बड़ाईपुरा, पीरगेट, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में नाम (Anju Kumari Gond) अंजू कुमारी गोंड लिखा हुआ है. जो कि गलत है. जिसमें संशोधन कर (Anju Kumari Gaud) अंजू कुमारी गौड करवाना है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के आधार कार्ड में सरनेम में सुधार कर गोंड के स्थान पर गौड अंकित किया जावे.

आवेदक
(नारायण राम)
(Narayan Ram).

(G-7107)

नाम परिवर्तन

मैं, फारूक अहमद अंसारी पिता अली मोहम्मद, निवासी– एच.नं. 1139, करबला रोड, साजिदा नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम फारूक अहमद पिता अली मोहम्मद दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भी मेरा नाम फारूक अहमद पिता के उसके स्थान पर मेरा नाम फारूक अहमद अंसारी पिता अली मोहम्मद पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम
(फारूक अहमद)

नया नाम
(फारूक अहमद अंसारी)
पिता– अली मोहम्मद.

(G-7108)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम गीतांजलि मोहन भोसले था जिसे परिवर्तित कर गीतांजलि भोसले कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड सहित समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम गीतांजलि भोसले ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(गीतांजलि मोहन भोसले)

नया नाम
(गीतांजलि भोसले)
पता– ग्राम जेतपुरा, तहसील पानसेमल,
जिला बड़वानी (म.प्र.).

(G-7109)

Change Of Name

I, hereby declare that, I have changed my name from "Nidhi" To "Nidhi Gupta ". Henceforth I, shall be known as "Nidhi Gupta" for all purposes.

Old Name
(Nidhi)

New Name
(Nidhi Gupta)
Add.- 510, Shanti Nagar,
Damoh Naka, Jabalpur (M.P.).

(G-7110)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम हरिओमदास बैरागी है जो मेरे ज्यादातर दस्तावेजों पर भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम सुनील लिखा हुआ है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम हरिओमदास बैरागी ही लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सुनील)

नया नाम
(हरिओमदास बैरागी)
पुत्र– कृष्णदास बैरागी
निवासी– राव मोहल्ला, वार्ड नं. 04, धामनोद,
रतलाम (म.प्र.).

(G-7111)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम पूना भील है जो मेरे ज्यादातर दस्तावेजों पर भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम पुनिया लिखा हुआ है. अतः मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम पूना भील ही लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(पुनिया)
पुत्र– बाबर

नया नाम
(पूना भील)
पुत्र– बाबर भील
निवासी– वार्ड 0, ग्राम छत्री,
तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.).

(G-7112)

Change Of Surname

I, POOJA RAWTANI W/o. NARENDRA RAWTANI, residing at E-7/723, NEAR CAMPION SCHOOL, ARERA COLONY, SHAHPURA, Bhopal (M.P.), hereby declare that I, have changed my previous name from POOJA MEHTA to POOJA RAWTANI. Henceforth, my identity will be recognized as POOJA RAWTANI in all my documents, including my share certificates.

Old Name
(POOJA MEHTA)

New Name
(POOJA RAWTANI).

(G-7113)

नाम परिवर्तन

मैं, संजूम खान पत्नी श्री रिजवान खान, मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम समीना खानम पत्नी श्री रिजवान खान त्रुटिवश अंकित हो गया है. अब से मुझे मेरे सही नाम संजूम खान पत्नी श्री रिजवान खान नाम से जाना व पहचाना जाये तथा मेरे आधार कार्ड में मेरा यही नाम अंकित किया जायेगा.

पुराना नाम
(समीना खानम)

नया नाम
(संजूम खान)
निवासी– एस.एम. 27, ब्लॉक नंबर–4,
सहयाद्री परिसर, भदभदा रोड, भोपाल (म.प्र.).

(G-7114)

नाम परिवर्तन

मैं, जैद मोहम्मद आत्मज श्री फजल मोहम्मद, मेरी हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल अंकसूचियों में मेरा नाम मोहम्मद जैद अंकित हो गया था एवं पिताजी का नाम फजल खान तथा माताजी का नाम सनवर खान अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम जैद मोहम्मद पिताजी का सही नाम फजल मोहम्मद एवं माताजी का सही नाम सनब्बर खान अंकित किया जावे.

पुराना नाम
(मोहम्मद जैद)

नया नाम
(जैद मोहम्मद)
निवासी– 64, सेक्टर 1, गांधी नगर,
हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-7115)

नाम परिवर्तन

मैं, शमशेर पटेल पिता मूसा, निवासी– ग्राम जाखुखेड़ी, पोस्ट खेड़ी सिहोद, तहसील महू, जिला इन्दौर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश घरेलू नाम अरमान (ARMAN) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, अंकसूची, और अन्य दस्तावेजों में नाम अयान (AYAN) दर्ज है. जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र का नाम सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों एवं समस्त दस्तावेजों में अयान पिता शमशेर पटेल के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(शमशेर पटेल).

(G-7116)

CHANGE OF NAME

It is to bring kind Notice to the people that my Son previous name Daksha Nagar S/o. Rajendra Nagar has been changed to Daksh Nagar S/o. Rajendra Nagar. Therefore, in future my Son will be known by the his new name only.

Old Name
(Daksha Nagar)
S/o. Rajendra Nagar

New Name
(Daksh Nagar)
S/o. Rajendra Nagar
Add.- 270, Rongliya khidiki, Aurangpura,
Indore (M.P.).

(G-7117)

CHANGE OF NAME

I, is to bring Kind Notice to the people that my daughter previous name PARGHIYA D/o. VIKAS YADAV (Old name) has been changed to PRAGYA YADAV D/o. VIKAS YADAV (New Name) Therefore, in future my daughter will be known by the his new name only.

Old Name
(PARGHIYA)

New Name
(PRAGYA YADAV)
D/o. VIKAS YADAV
Add.- Ward No. 36, Bhagirathpura,
Indore (M.P.).

(G-7118)

Change Of Name

I, Gobind Panjwani S/o. Tindanmal Panjwani here by Declare that I have changed My name as Govindram Panjwani S/o. Tindanmal Panjwani, so from now and in future I will be known by my new name Govindram Panjwani S/o. Tindanmal Panjwani

Old Name
(Gobind Panjwani)

New Name
(Govindram Panjwani)
S/o. Tindanmal Panjwani
Add.- E-3, HIG-16, Arera Colony,
Near Habibganj naka, Bhopal, Huzur,
Ris Nagar, Huzur Bhopal(M.P.).

(G-7119)

Change Of Name

I, Rajendar Singh S/o. Tarlochan Singh Vasu here by Declare that I have changed My name as Rajendra Singh Vasu S/o. Tarlochan Singh Vasu, so from now and in future I will be known by my new name Rajendra Singh Vasu S/o. Tarlochan Singh Vasu.

Old Name
(Rajendar Singh)

New Name
(Rajendra Singh Vasu)
S/o. Tarlochan Singh Vasu
Add.- 10, Dubey Colony, Manik Bagh Road,
Indore (M.P.).

(G-7120)

Change Of Name

I, VAISHALI JAKHETIA W/o. GIRISH JAKHETIA here by Declare that I have changed My name as RITU JAKHETIA W/o. GIRISH JAKHETIA, so from now and in future I will be known by my new name RITU JAKHETIA W/o. GIRISH JAKHETIA

Old Name
(VAISHALI JAKHETIA)

New Name
(RITU JAKHETIA)
W/o. GIRISH JAKHETIA
Add.- H.N. 296, PALLAHAR NAGAR,
VIP ROAD, INDORE (M.P.).

(G-7121)

नाम परिवर्तन

मैं, समीम खां मेरे आधार कार्ड में गलती से मेरा नाम समेदीन खान (SAMEDEEN KHAN) गलत अंकित हो गया है, अतः मेरे परिचय–पत्र, पैन कार्ड में समीम खां (SAMIM KHAN) सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरा सही नाम समीम खां (SAMIM KHAN) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(समेदीन खान)
(SAMEDEEN KHAN)

नया नाम
(समीम खां)
(SAMIM KHAN)
निवासी– करारिया, अहमदपुर,
जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-7122)

नाम परिवर्तन

मैं, रिजवान खान मेरे पुत्र के आधार कार्ड में गलती से मेरे पुत्र का नाम अदी (ADI) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में मेरे पुत्र का नाम अदील खान (ADEEL KHAN) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र का सही नाम अदील खान (ADEEL KHAN) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अदी)
(ADI)

नया नाम
(अदील खान)
(ADEEL KHAN)
पिता– रिजवान खान
निवासी– म.नं. 10/1, खाई बस्ती,
जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-7123)

नाम परिवर्तन

मैं, मो. जमील मेरे आधार कार्ड में गलती से मेरा नाम मो. इश्तियाक (Mo. Ishtiyak) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरे स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र में मो. जमील (Mohd. Jameel) सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम मो. जमील (Mohd. Jameel) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मो. इश्तियाक)
(Mo. Ishtiyak)

नया नाम
(मो. जमील)
(Mohd. Jameel)
निवासी– डी–89, मयूर विहार,
अशोका गार्डन, वार्ड नं. 67,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-7124)

नाम परिवर्तन

मैं, नवल सिंह मेरे पुत्र के आधार कार्ड में गलती से मेरे पुत्र का नाम भैय्यालाल (BHAIYALAL) गलत अंकित हो गया है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, वोटर कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम मंगलेश (MANGLESH) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम मंगलेश (MANGLESH) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(नवल सिंह)
निवासी– मकान नं. 34, राबियाबाद,
बिलकिसगंज, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-7125)

नाम परिवर्तन

मैं, छोटेलाल मेरी पुत्री के आधार कार्ड में गलती से मेरी पुत्री का नाम सुमन अहिरवार (SUMAN AHIRWAR) गलत अंकित हो गया है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम खुशी अहिरवार (KHUSHI AHIRWAR) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरी पुत्री का सही नाम खुशी अहिरवार (KHUSHI AHIRWAR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सुमन अहिरवार)
(SUMAN AHIRWAR)

नया नाम
(खुशी अहिरवार)
(KHUSHI AHIRWAR)
पिता– श्री छोटेलाल
निवासी–ग्राम आबूपुर, उर्फ कुचोली,
पोस्ट घटेरा, त्योंदा, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-7126)

नाम परिवर्तन

मैं, संजू पाराशर (SANJU PARASHAR) पत्नी श्री देवेन्द्र पाराशर मेरे घर का नाम बबली पाराशर (BABLI PARASHAR) है, जो मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में संजू पाराशर पत्नी श्री देवेन्द्र पाराशर के नाम से जानी पहचानी जाती हूँ. जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. संजू पाराशर एवं बबली पाराशर दोनों मेरे यानि एक ही महिला के नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम संजू पाराशर (SANJU PARASHAR) लिखा–पढा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(बबली पाराशर)

नया नाम
(संजू पाराशर)
पत्नी– श्री देवेन्द्र पाराशर.

(G-7127)

नाम परिवर्तन

मेरी 10वीं अंकसूची में नाम हार्दिक व्यास पिता का नाम रामेश्वर दयाल व्यास, मॉ का नाम ज्योति व्यास अंकित है. जबकि मेरे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र, समग्र आई.डी. में नाम हार्दिक शर्मा एंव पिता का नाम रामेश्वर दयाल शर्मा, माँ का नाम ज्योति शर्मा अंकित है. मेरा सही नाम हार्दिक शर्मा पिता का नाम रामेश्वर दयाल शर्मा एवं मॉ का नाम ज्योति शर्मा है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे हार्दिक शर्मा पिता का नाम रामेश्वर दयाल शर्मा, माता का नाम ज्योति शर्मा के नाम से ही जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(हार्दिक व्यास)

नया नाम
(हार्दिक शर्मा)
पुत्र– श्री रामेश्वर दयाल शर्मा
निवासी – बिष्णु कॉलोनी, पटिया वाला मोहल्ला,
ज्योति मॉर्डन विद्यालय के पीछे, सिकंदर कम्पू,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-7128)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनील चौहान पुत्र तिलक प्रसाद, निवासी– मकान नंबर 101, अर्जुन नगर, शिवाजी नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश "कृति चौहान (Kriti Chouhan)" दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम "कृतिका चौहान (Kritika Chouhan)" है, जो अन्य शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में सही रूप से अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री का सही नाम "कृतिका चौहान (Kritika Chouhan)" के नाम से जानी–पहचानी व शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे.

आवेदक
(सुनील चौहान).

(G-7129)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम स्कूल की मार्कशीट, जन्म प्रमाण–पत्र में दीपेश आंजना है, लेकिन आधार कार्ड में धीरज आंजना दर्ज है. आधार कार्ड में धीरज आंजना के स्थान पर दीपेश आंजना दर्ज किया जावे.

आवेदक
(जीवनसिंह आंजना)
पिता– करणसिंह आंजना
निवासी– हाऊस नं. 18,
ग्राम बरखेड़ा बुजुर्ग, उज्जैन (म.प्र.).

(G-7130)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रमोद कुमार जैन पुत्र श्री कुन्दन लाल जैन, निवासी– वार्ड नं. 14, मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक, समग्र आई.डी. पैन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम प्रमोद कुमार जैन है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम डॉ. प्रमोद जैन अंकित हो गया है. वर्तमान में मुझे प्रमोद कुमार जैन के नाम से संबोधित किया जाता है. उपरोक्त नाम मेरे यानि एक ही व्यक्ति के है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे प्रमोद कुमार जैन के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(डॉ प्रमोद जैन)

नया नाम
(प्रमोद कुमार जैन).

(G-7131)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रामकृष्ण असाटी पिता शरद असाटी (RAMKRISHNA ASATI S/o. SHARAD ASATI), निवासी– 203/2, नायक जी के मकान के सामने, असाटी वार्ड नं. 01, दमोह खास, दमोह, जिला दमोह (म.प्र.). मेरी कक्षा 10वीं के शैक्षाणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश नाम रामकृष्ण असाटी पिता शरद असाटी (RAMKRISHN ASATI S/o. SHARAD ASATI) अग्रेजी वर्णमाला में गलत अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे आधार कार्ड, 12वीं की अंकसूची, आयकर विभाग (पैन कार्ड) में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम रामकृष्ण असाटी पिता शरद असाटी (RAMKRISHNA ASATI S/o. SHARAD ASATI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रामकृष्ण असाटी)	**(रामकृष्ण असाटी)**
(RAMKRISHN ASATI)	पिता– शरद असाटी
	(RAMKRISHNA ASATI)
	(S/o. SHARAD ASATI).

(G-7132)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेश पुत्र प्यारेलाल, निवासी–ग्राम गुहिसर, जिला भिण्ड (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश गुनगुन (GUNGUN) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरी पुत्री की अंकसूची में साधना (SADHNA) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम साधना (SADHNA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(सुरेश)
पुत्र– प्यारेलाल.

(G-7133)

नाम परिवर्तन

मैं, अभिमन्यु कुमार पिता स्व. अशोक कुमार, निवासी– 260, स्वर्णकार कॉलोनी, गुरूद्वारा के पास, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश रिदा कुमार (Rida Kumar) पिता अभिमन्यु कुमार (Abhimanyu Kumar) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम रिद्धिमा कुमार (RIDDHIMA KUMAR) पिता अभिमन्यु कुमार (ABHIMANYU KUMAR) है. जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. जिसे मैं, अपनी पुत्री के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. रिद्धिमा कुमार (RIDDHIMA KUMAR) पिता अभिमन्यु कुमार (ABHIMANYU KUMAR) व रिदा कुमार (Rida Kumar) पिता अभिमन्यु कुमार (Abhimanyu Kumar) दोनों एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरी पुत्री ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को रिद्धिमा कुमार (RIDDHIMA KUMAR) पिता अभिमन्यु कुमार (ABHIMANYU KUMAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक
(अभिमन्यु कुमार).

(G-7134)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम लखन दांगी आत्मज श्री रमेश दांगी, निवासी–रनारा, पोस्ट नाटाराम, तहसील खिलचीपुर, रनारा पोस्ट नाटाराम, जिला राजगढ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश रामलखन (Ramlakhan) अंकित दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची में मेरा सही नाम लखन दांगी (Lakhan Dangi) दर्ज है. लखन दांगी (Lakhan Dangi) एवं रामलखन (Ramlakhan) अंकित दोनों एक ही व्यक्ति है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम लखन दांगी (Lakhan Dangi) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रामलखन)	**(लखन दांगी)**
(Ramlakhan)	(Lakhan Dangi).

(G-7135)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम वर्षा विश्वकर्मा पत्नी दुष्यंत कुमार पांचाल, निवासी– वार्ड क्र. 25, मकान नं. 313, गली नं. 5, हरीपुरा, विदिशा (म.प्र.) मेरा नाम शालेय दस्तावेजों में वर्षा विश्वकर्मा पिता विनोद कुमार विश्वकर्मा दर्ज है, परंतु विवाहोपरांत मैं, अपना नाम वर्षा पांचाल पत्नी दुष्यंत कुमार पांचाल लिखने लगी थी. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे वर्षा विश्वकर्मा पत्नी दुष्यंत कुमार पांचाल के नाम से जाना–पहचाना एवं पढ़ा–लिखा जावे.

पुराना नाम
(वर्षा पांचाल)

नया नाम
(वर्षा विश्वकर्मा)
पत्नी– श्री दुष्यंत कुमार पांचाल.

(G-7136)

नाम परिवर्तन

मुझ प्रार्थी के पुत्र का सही नाम प्रिंस गौड (PRINCE GOUD) पुत्र सोनू है, जो कि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है, जबकि उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम गोलू गौड (GOLU GOUR) दर्ज हो गया है. प्रिंस गौड और गोलू गौड दोनों नाम मेरे एक ही पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरे पुत्र को गोलू गौड (GOLU GOUR) के स्थान पर प्रिंस गौड (PRINCE GOUD) के नाम से लिखा–पढ़ा, जाना–पहचाना व उसके आधार कार्ड व समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम प्रिंस गौड (PRINCE GOUD) दर्ज किया जावे.

आवेदक
(सोनू)
पुत्र– सीताराम
निवासी– ग्राम सोई कला, पोस्ट सोई कला,
जिला श्योपुर (म.प्र.).

(G-7137)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अशोक मांझी (ASHOK MAJHI) है, जो कि मेरे वोटर कार्ड, समग्र आई.डी. आदि में दर्ज है. जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राजू बाथम (RAJU BATHAM) दर्ज हो गया है. अशोक मांझी व राजू बाथम मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त के बाद मुझे राजू बाथम (RAJU BATHAM) के स्थान पर अशोक मांझी (ASHOK MAJHI) के नाम से जाना–पहचाना व मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम राजू बाथम (RAJU BATHAM) के स्थान पर अशोक मांझी (ASHOK MAJHI) दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(राजू बाथम)
(RAJU BATHAM)

नया नाम
(अशोक मांझी)
(ASHOK MAJHI)
पुत्र– श्री गनेश मांझी
निवासी– क्वा. नं. 31, कलेक्ट्रेट के पीछे,
गणेशपुरा, जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-7138)

नाम परिवर्तन

मेरे पति आकाश अगीचा से माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत विवाह विच्छेद हो गया है. पूर्व में मेरा नाम जीविका अगीचा (Jeevika Agicha) था. मैं, अपना नाम अब परिवर्तित कर केतकी बजाज पिता वासुदेव बजाज (Ketki Bajaj D/o. Vasudeo Bajaj) करना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अब इसी नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(जीविका अगीचा)
(Jeevika Agicha)

नया नाम
(केतकी बजाज)
(Ketki Bajaj)
पिता– वासुदेव बजाज
निवासी– 37, यशराज इलाइट, श्री कृष्ण एवेन्यू,
फेस–3, लिम्बोदी, केलोद करताल,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-7139)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम सार्थक गेहलोद (SARTHAK GEHLOD) है और यही नाम मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तोवजों में अंकित है एवं मेरे पुत्र का घर का बचपन का पुकारे जाने वाला नाम अमन गेहलाद (AMAN GEHLOD) है जो कि उसके आधार कार्ड पर अंकित हो गया है. उपरोक्त दोनों ही नाम मेरे पुत्र के है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को भविष्य में उसके सही नाम सार्थक गेहलोद (SARTHAK GEHLOD) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदिका

(G-7140) **(सपना गेहलोद).**

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम राजू गेहलोद (RAJU GEHLOD) है और यही नाम मेरे जन्म प्रमाण–पत्र पर अंकित है एवं त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में राजू गेहलोद के स्थान पर राजेश अंकित हो गया है. जो सही होकर राजू गेहलोद है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजू गेहलोद (RAJU GEHLOD) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम — नया नाम

(राजेश) — **(राजू गेहलोद).**

(G-7141)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम मेहर (MEHAR) है जो कि उसके आधार कार्ड में गलत अंकित है जिसे बदलकर मैंने अपने पुत्र का नया नाम भूरा मावी (BHURA MAVI) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को भूरा मावी (BHURA MAVI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम — नया नाम

(मेहर) — **(भूरा मावी)**

(MEHAR) — (BHURA MAVI)

निवासी– माफीदर फलिया, ग्राम बाडी फाटा,
भाभरा, जिला अलीराजपुर (म.प्र.).

(G-7142)

नाम परिवर्तन

मैं, आयुष गुप्ता पुत्र श्री विनोद गुप्ता, निवासी–मकान नं. 184, खेड़ापति मंदिर, कोटरा गांव, हुजूर भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम राजू गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता जो मेरे आधार कार्ड में अंकित हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. सही नाम आयुष गुप्ता है, जो मेरी 10वीं की अंकसूची में अंकित है. उपरोक्त नाम राजू गुप्ता एवं आयुष गुप्ता दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के है. अतः प्रकाशन उपरान्त समस्त शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम आयुष गुप्ता पुत्र श्री विनोद गुप्ता नाम लिखा एवं पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(आयुष गुप्ता).

(G-7143)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम रविन्द्र यादव पिता हीरा सिंह यादव (RAVINDRA YADAV S/o. HEERA SINGH YADAV), निवासी– मकान नं. 488/2 क, ग्राम पोस्ट चितहरी लौंडी, छतरपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश आर्यन पिता हीरा सिंह यादव (AARYAN S/o. HEERA SINGH YADAV) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. रविन्द्र यादव पिता हीरा सिंह यादव (RAVINDRA YADAV S/o. HEERA SINGH YADAV) व आर्यन पिता हीरा सिंह यादव (AARYAN S/o. HEERA SINGH YADAV) दोनों एक ही व्यक्ति है. मेरे पुत्र का सही नाम एंव जन्म तिथि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम रविन्द्र यादव पिता हीरा सिंह यादव (RAVINDRA YADAV S/o. HEERA SINGH YADAV) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(आर्यन पिता हीरा सिंह यादव)
(AARYAN S/o. HEERA SINGH YADAV)

नया नाम
(रविन्द्र यादव)
(RAVINDRA YADAV)
पिता– हीरा सिंह यादव
(S/o. HEERA SINGH YADAV).

(G-7144)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम निकिता मेवाड़ा पुत्री पूरण सिंह मेवाड़ा (NIKITA MEWADA D/o. PURAN SINGH MEWADA), निवासी–वार्ड नं. 09, ग्राम अरनियाखुर्द, तहसील शुजालपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम नेहा मेवाड़ा पुत्री पूरण सिंह मेवाड़ा (NEHA MEWADA D/o. PURAN SINGH MEWADA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. निकिता मेवाड़ा पुत्री पूरण सिंह मेवाड़ा व नेहा मेवाड़ा पुत्री पूरण सिंह मेवाड़ा दोनों नाम मेरी पुत्री के हैं. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम निकिता मेवाड़ा पुत्री पूरण सिंह मेवाड़ा (NIKITA MEWADA D/o. PURAN SINGH MEWADA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक
(पूरण सिंह मेवाड़ा)
पुत्र– देवीसिंह मेवाड़ा.

(G-7145)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम सुधीर बाबू किरार पुत्र लाखन सिंह (SUDHIR BABU KIRAR S/o. LAKHAN SINGH), निवासी– ग्राम बड़ागांव, पोस्ट लटेरी, विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सुदीप धाकड़ पुत्र लाखन सिंह (SUDEEP DHAKAD S/o. LAKHAN SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा पुत्र का नाम सुधीर बाबू किरार पुत्र लाखन सिंह (SUDHIR BABU KIRAR S/o. LAKHAN SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक
(लाखन सिंह).

(G-7146)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सुनीता जेसवानी पुत्री श्री आसूदोमल जेसवानी है, जो कि मेरी अंकसूची व शैक्षणिक रिकार्ड में भी दर्ज है साथ ही विवाह उपरांत से मेरा नाम तानिया दासवानी पत्नी श्री कमल दासवानी है, यह नाम मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/सूची तथा मेरे परिवार समग्र आई.डी. की सूची में दर्ज हैं. सुनीता जेसवानी व तानिया दासवानी दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही महिला अर्थात मेरे स्वयं के ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में अब मुझे तानिया दासवानी पत्नी श्री कमल दासवानी के नाम से जाना–पहचाना तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सुनीता जेसवानी)
पुत्री– श्री आसूदोमल जेसवानी

नया नाम
(तानिया दासवानी)
पत्नी– श्री कमल दासवानी
निवासी– सेक्टर–बी, डुप्लेक्स 70, राजाभोज बीडीए स्कीम, द ब्लेयर केम्पस, गांधीनगर, भोपाल (म.प्र.).

(G-7147)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम केशिया डामोर आत्मज श्री गट्टू डामोर (KESHIYA DAMOR S/o. GATTU DAMOR) है, परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश दिलीप डामोर आत्मज श्री गट्टू डामोर (DILIP DAMOR S/o. GATTU DAMOR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम केशिया डामोर आत्मज श्री गट्टू डामोर (KESHIYA DAMOR S/o. GATTU DAMOR) मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड में दर्ज है. मेरा सही नाम मेरे आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे केशिया डामोर आत्मज श्री गट्टू डामोर (KESHIYA DAMOR S/o. GATTU DAMOR) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(दिलीप डामोर)
(DILIP DAMOR)

नया नाम
(केशिया डामोर)
(KESHIYA DAMOR)
आत्मज– श्री गट्टू डामोर
(S/o. GATTU DAMOR)
निवासी– कछली फलिया, मल्वेली, माथना, अलीराजपुर (म.प्र.).

(G-7148)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम तस्यम है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश कश्यप अंकित है जबकि मेरे पुत्र का सही नाम तस्यम है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है. अब मैं, अपने पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम "तस्मय अंकित करना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को तस्मय के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

आवेदक
(संतोष).

(G-7149)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम नीलम मिश्रा मडावी (Neelam Mishra Madavi) था को परिवर्तित कर नया नाम नीलम मिश्रा (Neelam Mishra) पुत्री श्री राम नारायण मिश्रा हो गया है. इससे पूर्व मुझे नीलम मिश्रा मडावी के नाम से जानी और पहचानी जाती थीं. अब नया नाम नीलम मिश्रा (Neelam Mishra) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त अब मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम नीलम मिश्रा मडावी लिखा है उसके स्थान पर नया नाम नीलम मिश्रा (Neelam Mishra) पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम
(नीलम मिश्रा मडावी)
(Neelam Mishra Madavi)

नया नाम
(नीलम मिश्रा)
(Neelam Mishra).

(G-7150)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, M/s. SHREE BALAJI FUELS AND SERVICES, पंजीयन क्रमांक 07–33–01–0101–25, दिनांक 08 अगस्त 2025 उज्जैन सम्भाग से पंजीकृत फर्म है. यह कि संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 1 जुलाई 2025 को इस भागीदारी फर्म से श्रीमती शिल्पी अग्रवाल पत्नी श्री अजेश अग्रवाल, पता–116, महेश्वर नगर, उज्जैन अपनी स्वेच्छा से इस भागीदारी फर्म से पृथक् (बाहर) हो रही है. शेष भागीदार यथावत् हैं.

M/s. SHREE BALAJI FUELS AND SERVICES
KAMINI AGRAWAL
(भागीदार)
Add.- 37, 2nd Floor, Kashpank Marg, Freeganj,
Distt. Ujjain (M.P.).

(G-7151)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म आर.बी. एसोसिएट्स का पंजीयन भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में दिनांक 02–08–2025 को कंपनी एक्ट, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दर्ज कराया गया है. जिसके उपरांत फर्म आर.बी. एसोसिएट्स के नाम से किये जा रहे सभी अनुबंध एवं समस्त कार्यों का क्रियान्वयन आर. बी. एसोसिएट्स ग्लोबल कोनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (R. B. ASSOCIATES GLOBAL CONNECT PRIVATE LIMITED) के नाम से किया जायेगा.

R. B. ASSOCIATES
GLOBAL CONNECT PRIVATE LIMITED
1. **रिशिका आहुजा**
2. **अंकूर गुप्ता**
3. **महेन्द्र कबीर**
(भागीदार).

(G-7152)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम (KRISHNKANT DUBEY) है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है. जिसे बदलकर मैंने अपने पुत्र का नया नाम कृष्णा दुबे (KRISHNA DUBEY) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को (KRISHNA DUBEY) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक
(संतोष दुबे)
आत्मज– श्री काशी प्रसाद दुबे
पता– थाना कालोनी, गैरतगंज,
जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-7153)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम विजय पाल (VIJAY PAL) जो कि गलत है. जिसे बदलकर मैंने अपना सही नाम किलकोटी (KILKOTI) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे नये सही नाम किलकोटी (KILKOTI) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(विजय पाल)
(VIJAY PAL)

नया नाम
(किलकोटी)
(KILKOTI)
निवासी– वार्ड नं. 13, दीक्षित मोहल्ला,
कुशमा, महाराजपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.).

(G-7154)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/s. SWASTIK ASSOCIATES Office C-67, RAJUL TOWNSHIP TILHARI BILHARI, Jabalpur, (M.P.) 482020 Reg. 04/14/01/0159/20, Date 28.10.2020 (सन् 2020–2021) द्वारा दिनांक 27.05.2025 को Mrs. SUBHASHINI DUBEY W/o. Dr. C.D. DUBEY R/o. 9/521, Rajiv Marg, Bhagvat Kripa, Nirala Nagar, Huzur, Rewa Engineering College, Rewa, (M.P.)-486002 भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया एवं दिनांक 27.05.2025 को ही भागीदार क्र. 1. Mr. SANJAY SONI S/o. Mr. LEELA DHAR SONI R/o. C-67, RAJUL TOWNSHIP, TILHARI, BILHARI, JABALPUR (M.P.)-482020 भागीदार क्र. 2. Mr. NIRVED NAMDEO S/o. Mr. YASHWANT NAMDEO R/o. H.No.155/1, Ward No.10, Narayanganj, Distt. Mandla (M.P.) एवं भागीदार क्र. 3. Mr. DHANENDRA THAKUR S/o. Mr. BHOLA RAM THAKUR R/o. Plot No. 69, Ganga Nagar, Garha, Rajul City, Paruwa, Jalalpur-482003 भागीदारी फर्म से पृथक् हुए.

M/s. SWASTIK ASSOCIATES
SUBHASHINI DUBEY
(Partner)
Add.- C-67, RAJUL TOWNSHIP TILHARI,
BILHARI, JABALPUR (M.P.).

(G-7155)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सामा बाई पत्नी रंगा (SAMA BAI W/o. RANGA), निवासी– 319, साईं बाबा नगर, अरेरा कॉलोनी, तहसील हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम श्यामा बारिया पत्नी रंगा बारिया (SHYAMA BARIYA W/o. RANGA BARIYA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मतदाता पहचान–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम सामा बाई पत्नी रंगा (SAMA BAI W/o. RANGA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(श्यामा बारिया पत्नी रंगा बारिया)	**(सामा बाई)**
(SHYAMA BARIYA W/o. RANGA BARIYA)	(SAMA BAI)
	पत्नी – रंगा
(G-7156)	(W/o. RANGA).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम चुनटईया पिता श्री बुदू काछी (CHUNTIYAAN S/o. BUDU KACHHI), निवासी– चरखारी, पिपरिया पचार सागर (म.प्र.), परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम टुन्टई पिता श्री गुटवती (TUNTAI S/o. GUTVATEE) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे भारत निर्वाचन आयोग कार्ड एवं स्थानीय मूल निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम चुनटईया पिता श्री बुदू काछी (CHUNTIYAAN S/o. BUDU KACHHI) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(टुन्टई)	**(चुनटईया)**
(TUNTAI)	(CHUNTIYAAN)
पिता– श्री गुटवती	पिता– श्री बुदू काछी
(S/o. GUTVATEE)	(S/o. BUDU KACHHI).
(G-7157)	

नाम परिवर्तन

मेरा नाम प्रहलाद पिता श्री काशीराम (PRAHLAD S/o. KASHIRAM), निवासी– 127, मिहलवारा, ग्राम मिहलवारा सुखा, पथरिया दमोह (म.प्र.), परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम मुनीम कुर्मी पिता श्री काशीराम पटेल (MUNEEM KURMI S/o. KASHIRAM PATEL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे भारत निर्वाचन आयोग कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम प्रहलाद पिता श्री काशीराम (PRAHLAD S/o. KASHIRAM) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मुनीम कुर्मी)	**(प्रहलाद)**
(MUNEEM KURMI)	(PRAHLAD)
पिता– काशीराम पटेल	पिता– काशीराम
(S/o. KASHIRAM PATEL)	(S/o. KASHIRAM).
(G-7158)	

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम प्रीतिदेवी अहिरवार पत्नी श्री राकेश अहिरवार है साथ ही विवाह के पूर्व में मेरा नाम प्रीतिदेवी अहिरवार पुत्री श्री प्यारेलाल अहिरवार है. वर्तमान में मेरे पति ने अपना नाम राकेश अहिरवार से राकेश कुमार गौतम कर लिया है, अब मैनें, अपने पुराने नाम प्रीति देवी अहिरवार पत्नी श्री राकेश अहिरवार से प्रीतिदेवी गौतम पत्नी श्री राकेश कुमार गौतम कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे भविष्य में प्रीतिदेवी गौतम से राकेश कुमार गौतम के नाम से जाना–पहचाना व समस्त शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(प्रीतिदेवी अहिरवार)
पत्नी– श्री राकेश अहिरवार

नया नाम
(प्रीतिदेवी गौतम)
पत्नी– श्री राकेश कुमार गौतम
निवासी– जी–122/54, शिवाजी नगर,
जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-7159)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कमल सिंह बेडा पिता श्री जगन्नाथ बेडा, निवासी– म.नं. 13, वीरसावर कर मार्ग, पथारवाला खातेगांव, देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कमल बेडा पिता श्री जगन्नाथ बेडा (KAMAL BEDA S/o. JAGANNATH BEDA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शैक्षणिक दस्तावेज एवं स्थानीय मूल निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम कमल सिंह बेडा पिता श्री जगन्नाथ बेडा (KAMAL SINGH BEDA S/o. JAGANNATH BEDA) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(कमल बेडा)
(KAMAL BEDA)

नया नाम
(कमल सिंह बेडा)
(KAMAL SINGH BEDA)
पिता– श्री जगन्नाथ बेडा
(S/o. JAGANNATH BEDA).

(G-7160)

नाम परिवर्तन

मैं, मुन्नु कुमार पुत्र श्री सूरज, निवासी– एच.आई.जी. 90, शंकराचार्य नगर, बागसेवनिया, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मुन्ना कुमार (Munna Kumar) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम मुन्नु कुमार (Munnu Kumar) पुत्र श्री सूरज (Suraj) है, जो कि सही है. उक्त नाम के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है, यदि ऐसा पाया जाता है तो संपूर्ण जानकारी मेरी स्वयं की होगी.

आवेदक
(मुन्नु कुमार).

(G-7161)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम उद्देश्य पाल (UDDESHYA PAL) पिता अनिल पाल माता पूजा पाल (POOJA PAL) है, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर मेरी माता का नाम त्रुटिवश संगीता पाल (SANGEETA PAL) दर्ज हो गया है एवं मेरे आधार कार्ड एवं समग्र आई.डी. पर मेरा नाम त्रुटिवश उपदेश पाल (UPDESH PAL) दर्ज हो गया है, अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम उद्देश्य पाल (UDDESHYA PAL) पिता अनिल पाल माता पूजा पाल (POOJA PAL) के नाम से लिखा–पढ़ा, जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(उपदेश पाल)	**(उद्देश्य पाल)**
(UPDESH PAL)	(UDDESHYA PAL)
पिता– अनिल पाल	पिता– अनिल पाल
माता– संगीता पाल	माता– पूजा पाल
	निवासी– 3/528, भवानी नगर, सांवेर रोड,
(G-7162)	जिला इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम माया मंगलानी (MAYA MANGALANI) पिता दीपचन्द्र मंगलानी था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर अंकित है, श्री सुरेश चावला से विवाह के उपरान्त मेरा नाम लता (LATA) पति सुरेश हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड पर अंकित है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम मायादेवी चावला (MAYADEVI CHAWLA) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा परिवर्तित नाम लता (LATA) पति सुरेश के नाम से लिखा–पढ़ा, जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(माया मंगलानी)	**(लता)**
(MAYA MANGALANI)	(LATA)
	पति– सुरेश
	निवासी– 49, ऐ, वीर सांवरकर नगर,
(G-7163)	खातीवाला टेंक, इन्दौर (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

मेरा सही नाम राकेश गिरधारी (RAKESH GIRDHARI) पिता श्री गिरधारीलाल रायकवार है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आई.डी. एवं मेरे वोटर कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम राकेश रायकवार (RAKESH RAIKWAR) एवं कुछ पर राकेश गिरधारीलाल (RAKESH GIRDHARILAL) दर्ज हो गया है, राकेश रायकवार, राकेश गिरधारीलाल एवं राकेश गिरधारी तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राकेश गिरधारी (RAKESH GIRDHARI) पिता श्री गिरधारीलाल रायकवार के नाम से लिखा–पढ़ा, जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राकेश रायकवार)	**(राकेश गिरधारी)**
(RAKESH RAIKWAR)	(RAKESH GIRDHARI)
	पिता– श्री गिरधारीलाल रायकवार
	निवासी– 43, सेक्टर–सी, स्लाईस–5,
(G-7164)	स्कीम नं. 78, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम साऊबाई गुर्जर (SAOOBAI GURJAR) पति गंगाबिसन गुर्जर है. जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम सावित्री गुर्जर (SAVITRI GURJAR) पति गंगबिशन गुर्जर दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम साऊबाई गुर्जर (SAOOBAI GURJAR) पति गंगाबिसन गुर्जर लिखा–पढ़ा एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सावित्री गुर्जर)	**(साऊबाई गुर्जर)**
(SAVITRI GURJAR)	(SAOOBAI GURJAR)
	पति– गंगाबिसन गुर्जर
	निवासी– 36/1, ग्राम दुलवा, तहसील खातेगांव,
	जिला देवास (म.प्र.).

(G-7165)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम रोशन लाल आखर पिता वाशु लाल आखर था, निवासी– 49/4, पलसीकर कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.) अब से मैं रोशन आखर (ROSHAN AKHAR) पिता वाशु लाल आखर (WASHU LAL AKHAR) जो कि मेरे 12वीं की मार्कशीट में अंकित है के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा तथा मेरे सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रोशन लाल आखर)	**(रोशन आखर)**
	पिता– वाशु लाल आखर.

(G-7166)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम मो. ज़मीर पिता तसखीर अहमद था. पता– 280/7, गंगा कॉलोनी, धार रोड, इंदौर (म.प्र.) अब से मैं, रोशन ज़मीर पिता तसखीर अहमद जो कि मेरे 5वीं की मार्कशीट में अंकित है. के नाम से जाना पहचाना जाऊंगा एवं मेरे नाम लिखा–पढ़ा जावेगा तथा मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नाम को दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मो. ज़मीर)	**(रोशन ज़मीर)**
	पिता– तसखीर अहमद.

(G-7167)

नाम परिवर्तन

मैं, रामप्रसाद पुत्र रतिराम, निवासी– ग्राम पनवाड़ी, पोस्ट बरेड़ी, तहसील पचोर, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश देवीलाल (DEVEELAL) पुत्र मुन्नालाल, दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड पर रामप्रसाद (RAMPRASAD) पुत्र रतिराम नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम रामप्रसाद (RAMPRASAD) पुत्र रतिराम के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(देवीलाल)	**(रामप्रसाद)**
(DEVEELAL)	(RAMPRASAD)
पुत्र– मुन्नालाल	पुत्र– रतिराम.

(G-7168)

नाम परिवर्तन

मैं, पवन पुत्र हरीराम, निवासी ग्राम खल, नेमावर, खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश राज पवन (RAJ PAWAN) पुत्र जीवन सिंह दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी अंकसूची, वोटर कार्ड, एवं अन्य दस्तावेजों पर पवन (PAVAN) पुत्र हरीराम नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम पवन (PAVAN) पुत्र हरीराम के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राज पवन)	**(पवन)**
(RAJ PAWAN)	(PAVAN)
पुत्र– जीवन सिंह	पुत्र– हरीराम.

(G-7169)

नाम परिवर्तन

मैं, शबिस्ता बेगम पुत्री श्री मोहम्मद इकबाल कुरैशी, निवासी– बी–137, ओकाफ कॉलोनी, ऐशबाग, वार्ड नं.–42, तहसील हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश बुशरा पत्नी श्री मोहम्मद मुशर्रफ दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शबिस्ता बेगम पुत्री श्री मोहम्मद इकबाल कुरैशी है. अतः प्रकाशन उपरान्त अपने समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहती हूँ.

पुराना नाम	नया नाम
(बुशरा)	**(शबिस्ता बेगम)**
पत्नी– श्री मोहम्मद मुशर्रफ	(SHAVISTA BEGUM)
	पिता– श्री मोहम्मद इकबाल कुरैशी.

(G-7170)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम विद्या पिता श्री चंद्र मोहन, निवासी– ग्राम सुन्दरसी, पोस्ट सुन्दरसी, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम विधिया पिता श्री चंद्रमोहन प्रजापति (VIDHIYA D/o. CHANDRAMOHAN PRAJAPTI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजों एवं पैन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम विद्या पिता श्री चंद्र मोहन (VIDHYA D/o. CHANDRA MOHAN) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विधिया पिता चंद्रमोहन प्रजापति)	**(विद्या)**
(VIDHIYA D/o. CHANDRAMOHAN PRAJAPTI)	(VIDHYA)
	पिता– श्री चंद्र मोहन
	(D/o. CHANDRA MOHAN).

(G-7171)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम फोजिया पत्नी मुजिब अहमद (FOZIYA W/o. MUJIB AHMAD), निवासी– 8 ए, सुभाष कॉलोनी, अशोका गार्डन, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम नसीम अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे वोटर आई.डी., बैंक पासबुक दस्तावेजों में भी दर्ज है. फोजिया पत्नी मुजिब अहमद (FOZIYA W/o. MUJIB AHMAD) व नसीम दोनों नाम एक ही महिला के मेरे स्वयं के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम फोजिया पत्नी मुजिब अहमद (FOZIYA W/o. MUJIB AHMAD) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नसीम)	**(फोजिया)**
	(FOZIYA)
	पत्नी– मुजिब अहमद
	W/o. MUJIB AHMAD.

(G-7172)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रकाश जाट पिता भीका जी जाट, निवासी– हाउस नं. 801, वार्ड नं. 07, छपरी, तहसील भैरुंदा, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरा सही नाम प्रकाश जाट (PRAKASH JAT) पिता भीका जी जाट (BHIKA JI JAT) है, परन्तु मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश ओमप्रकाश जाट (Omprakesh jat) पिता भिका जी जाट (Bhika Ji Jat) दर्ज हो गया हैं, जो कि गलत है. प्रकाश जाट (PRAKASH JAT) पिता भीका जी जाट (BHIKA JI JAT) व ओमप्रकाश जाट (Omprakesh jat) पिता भिका जी जाट (Bhika Ji Jat) दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे प्रकाश जाट (PRAKASH JAT) पिता भीका जी जाट (BHIKA JI JAT) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ओमप्रकाश जाट)	**(प्रकाश जाट)**
(Omprakesh jat)	(PRAKASH JAT)
	पिता– भीका जी जाट
(G-7173)	(BHIKA JI JAT).

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम प्रिया गौर पुत्री आलोक कुमार गौर (PRIYA GOUR D/o. ALOK KUMAR GOUR), निवासी– ग्राम मंगवारी, तहसील डोलरिया, होशंगाबाद (म.प्र.), परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अंशु गौर पुत्री आलोक कुमार गौर (ANSHU GOUR D/o. ALOK KUMAR GOUR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम प्रिया गौर पुत्री आलोक कुमार गौर (PRIYA GOUR D/o. ALOK KUMAR GOUR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(आलोक कुमार गौर).

(G-7174)

नाम परिवर्तन

मेरे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम बसकर अमरूते पिता ओमकार सिंह अमरूते दर्ज है. मेरा पूर्व/पुराना नाम बसकर अमरूते पिता ओमकार सिंह अमरूते था. अब परिवर्तित कर नया नाम राध्या अमरूते पिता ओमकार सिंह अमरूते हो गया है. अब मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम बसकर अमरूते पिता ओमकार सिंह अमरूते लिखा है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरा नाम राध्या अमरूते पिता ओमकार सिंह अमरूते लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बसकर अमरूते)	**(राध्या अमरूते)**

(G-7175)

नाम परिवर्तन

मैं, ओमप्रकाश आत्मज श्री शिवकुमार, निवासी– मकान नं. 112, ग्राम भुसण्डा, जिला डिंडौरी (म.प्र.).मेरे आधार कार्ड में भुन्टु सिंह दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि जन्म प्रमाण–पत्र एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम ओमप्रकाश आत्मज श्री शिवकुमार है, जो कि सत्य है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत एवं समस्त दस्तावेजों में इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(भुन्टु सिंह)

नया नाम
(ओमप्रकाश)
आत्मज– श्री शिवकुमार.

(G-7176)

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष कुमार रघुवंशी पिता श्री फूल सिंह रघुवंशी, निवासी– नाहरकोला कलां, सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश प्रियंशु रघुवंशी (Priyanshu Raghuwanshi) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि जन्म प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रियांश रघुवंशी (Priyansh Raghuwanshi) है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(संतोष कुमार रघुवंशी)
पिता– श्री फूल सिंह रघुवंशी.

(G-7177)

नाम परिवर्तन

मैं, ब्रहमा कौरव आत्मज श्री रामगुलाम कौरव, निवासी– सिलारीकलां, सतहरी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम शानवी कौराव (SHANVI KOURAV) है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम छुटकी कौरव (CHHUTKI KOURAV) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम शानवी कौराव (SHANVI KOURAV) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक
(ब्रहमा कौरव).

(G-7178)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुभाग पुनासा, मध्यप्रदेश

पुनासा, दिनांक 10 जनवरी 2025

(प्रारुप–चार)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

प्र.क्र.–0001–बी–13(1)–2024–25.– आवेदक विनोद सावनेर पिता नंदकिशोर, निवासी– गोराडिया, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा श्री श्रीराम मंदिर एवं राजपूत धर्मशाला परिसर की संपत्ति का रख–रखाव एवं संचालन ग्राम गोराडिया, तह. पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश का पंजीयन न्यास के रूप में कराए जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन–पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवदेन किया. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन–पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 24 जनवरी 2025 को विचार किया जायेगा.

उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगाः–

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता :–	श्री श्रीराम मंदिर एवं राजपूत धर्मशाला परिसर की संपत्ति का रख–रखाव एवं संचालन ग्राम गोराडिया, तह. पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.).
पताः–	श्री श्रीराम मंदिर एवं राजपूत धर्मशाला परिसर की संपत्ति का रख–रखाव उवं संचालन ग्राम गोराडिया, तह. पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.).

– अनूसूची "अ" –

चल संपति :–	नगद 1,000/– रुपये बैंक खाते में नगद जमा

– अनूसूची "ब" –

अचल संपत्तिः–	निरंक

शिवम प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-7179)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

नर्मदापुरम, दिनांक 11 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1)]

लोक न्यासों के पंजीयक नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम के समक्षः

क्र.–2930–प्र.अविअ.–2025–26.– यह कि आवेदकगण श्री जगदीश प्रसाद रघुवंशी आ. नाथूराम रघुवंशी व अन्य 8 निवासी ग्राम सांवलखेडा, तहसील व जिला नर्मदापुरम द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अतंर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 11 नवम्बर 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

मैं, नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 31 नवम्बर 2025 उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा–अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करती हूँ.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मैं, समक्ष उपरोक्त तारीख पर या व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

श्रीराम जानकी मंदिर सार्वजनिक न्यास, सांवलखेडा की व्यवस्था हेतु निम्न दर्शाए व्यक्तियों एवं उनके परिवार के द्वारा संलग्न अनुसूची में दर्शाई कृषि भूमि को दान किया है जो कि वर्तमान में श्रीराम जानकी मंदिर सार्वजनिक न्यास, सांवलखेडा, के नाम पर दर्ज है, न्यास में दानदाताओं और उनके परिवार के सदस्यों को न्यासी नियुक्त किया जा रहा है इसके अतिरिक्त दानदाताओं की सहमति से ग्राम के अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों को भी न्यास में साक्षी नियुक्त किया जा रहा है.

उक्त न्यासी के पद छोड़ने अथवा मृत होने पर नए न्यासी की नियुक्ति उत्तराधिकार क्रमानुसार मृत न्यासी के परिवार के एक सदस्य को न्यासी नियुक्त किया जावेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1.	न्यास का पूरा नाम	– श्री राम जानकी मंदिर सार्वजनिक न्यास सांवलखेडा, तहसील व जिला नर्मदापुरम.
2.	न्यास का उद्यम प्रकृति और उद्देश्य	– धार्मिक आयोजन समाज सेवा निराश्रितों को भोजन समाज के गरीब मेघावी छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति व अन्य धार्मिक एवं सामाजिक कार्य.
3.	स्थान जहां कि न्यास का मुख्य कार्यालय कार्यभार का स्थान स्थित है.	– ग्राम सांवलखेडा, तहसील व जिला नर्मदापुरम.
4.	न्यासधारी या प्रबंधक के उत्तराधिकार की स्थिति अथवा उत्तराधिकार का क्रम.	– उत्तराधिकार क्रमानुसार न्यासी के परिवार का एक सदस्य.

5.	न्यास की चल सम्पत्ति	–	चल सम्पत्ति का मूल्य अनुसार सूची संलग्न है.
6.	अचल संपत्ति का विवरण	–	अचल संपत्ति की सूची खसरे सहित संलग्न राम जानकी मंदिर.
7.	अचल संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य	–	–
8.	न्यास के आय के स्त्रोत	–	–
9.	औसतन वार्षिक सकल आय	–	–

जय सोलंकी, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-7180)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आलीराजपुर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2025

(फार्म–चार)

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 के नियम 5(1) के अन्तर्गत आवेदक भरत कुमार राठौड़ पिता मयाराम राठौड़, निवासी व्यक्टेश्वर मार्ग, आलीराजपुर के द्वारा "राठोड़ समाज पंच, श्री रणछोड़राय मन्दिर ट्रस्ट", कार्यालय पता–राठोड़ समाज पंच, श्री रणछोड़राय मंदिर ट्रस्ट, आलीराजपुर, राठोड़ समाज भवन, वार्ड क्र. 07, रणछोड़राय मार्ग, आलीराजपुर, जिला अलीराजपुर के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम 4(2) के तहत निर्धारित प्रारुप में आवेदन–पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित चालान शुल्क रुपये 100/– का चालान क्रमांक 051, दिनांक 17 जून 2025 प्रस्तुत किया गया है. न्यास की चल सम्पत्ति में पंजाब नेशनल बैंक में जमा रुपये 2,58,438/– (अक्षरी रूपये दो लाख, अठ्ठावन हजार चार सौ अडतीस मात्र) व अन्य खाता मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा आलीराजपुर में जमा राशि रुपये 8,02,888/– (अक्षरी रुपये आठ लाख दो हजार आठ सौ अठ्यासी रुपये मात्र) है जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है तथा अचल सम्पत्ति निरंक है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट मे दिया गया है, के संबंध मे आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय मे स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते है.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नही किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	–	"राठोड़ समाज पंच, श्री रणछोड़राय मन्दिर ट्रस्ट" आलीराजपुर
2.	पता	–	कार्यालय– राठोड़ समाज पंच, श्री रणछोड़राय मंदिर ट्रस्ट, आलीराजपुर, राठोड़ समाज भवन, वार्ड क्रं. 07, रणछोड़राय मार्ग, आलीराजपुर, जिला आलीराजपुर (म.प्र).
3.	चल संपत्ति	–	न्यास की चल सम्पत्ति में पंजाब नेशनल बैंक में जमा रुपये 2,58,438/–

(अक्षरी रुपये दो लाख, अठ्ठावन हजार चार सौ अड़तीस मात्र) व अन्य खाता मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा आलीराजपुर में जमा राशि रुपये 8,02,888/– (अक्षरी रुपये आठ लाख, दो हजार, आठ सौ अठ्यासी रुपये मात्र) है, जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है.

4. अचल संपत्ति – अचल सम्पत्ति निरंक है.

आज दिनांक 23 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

तपीश पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-7181)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 9 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.– उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन आदेश (संशोधित) क्रमांक व दिनांक (4)
1.	कंचन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	646/27.11.1996	2515/05.08.25
2.	माँ गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	730/03.10.1998	2524/05.08.25
3.	साहु साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदौर	2587/15.09.1994	2521/05.08.25

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई है, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय–प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, श्रमशिविर, कार्यालय, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावें एवं आपत्तियां मान्य नही होगी. तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टाक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षर को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टाक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको जप्त करने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं दनेदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 19 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

मनोज शेल्के, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G-7182)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 11 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 57(1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.–परिसमापक–2025–क्यू.– कार्यालय, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

अ.क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मालवा सहकारी मुद्रणालय संस्था मर्यादित, इन्दौर	267/25.06.1984	3462/24.10.2025
2.	सेवा स्टेशनरी एण्ड बाईडिंग सहकारी मुद्रणालय संस्था मर्यादित, इन्दौर.	208/04.03.1991	3463/24.10.2025
3.	ज्ञानगंगा प्राथमिक सहकारी मुद्रणालय संस्था मर्यादित, इन्दौर.	1810/26.11.1996	3464/24.10.2025
4.	राष्ट्रीय सहकारी मुद्रणालय संस्था मर्यादित, इन्दौर	1662/10.10.1994	3465/24.10.2025
5.	गांधी आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	164/17.06.1974	3473/24.10.2025
6.	पी.एफ.आई.डी. क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, इन्दौर	2799/20.08.2015	3474/24.10.2025
7.	पत्रकार साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	1850/06.06.1995	3475/24.10.2025
8.	प्रगतिशील एकता साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	1764/02.02.1996	3476/24.10.2025
9.	अहिल्या बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देपालपुर.	91/05.09.2013	1808/03.06.2024 एवं यथा संशोधित 3371/16.10.2025.
10.	किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जम्बूडी हप्सी, इन्दौर.	73/05.09.2013	1807/03.06.2024 एवं यथा संशोधित 3371/16.10.2025.
11.	श्री गणेश खाद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित,सोनवाय, इन्दौर.	2488/10.02.2011	1804/03.06.2024 एवं यथा संशोधित 3371/16.10.2025.
12.	नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिजलपुर, इन्दौर.	192/05.09.2013	2074/14.06.2024 एवं यथा संशोधित 3371/16.10.2025.
13.	विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हातोद, इन्दौर.	104/05.09.2013	2073/14.06.2024 एवं यथा संशोधित 3371/16.10.2025.
14.	ममता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बुढ़ानिया, इन्दौर.	68/05.09.2013	2072/14.06.2024 एवं यथा संशोधित 3371/16.10.2025.
15.	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरलई जागीर, इन्दौर.	63/05.09.2013	2071/14.06.2024 एवं यथा संशोधित 3371/16.10.2025.
16.	मारूती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देपालपुर, इन्दौर.	2450/03.06.2010	2070/14.06.2024 एवं यथा संशोधित 3371/16.10.2025.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तद्नुसार समिति की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 11 नवम्बर 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

निकिता यादव, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(G-7183)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 16 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र.–परिसमापक–2025.– कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्र. व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	झुग्गी वस्ती महिला सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	1824/18.03.1997	3632/03.11.2025
2.	युथा शिक्षित बेरोजगार सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	912/20.09.1989	3631/03.11.2025
3.	पवन पुत्र सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	137/05.9.2013	3628/03.11.2025
4.	आस्था वाल्मिकी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	896/15.03.1989	3627/03.11.2025
5.	अल्पसंख्यक सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर	896/05.06.1989	3626/03.11.2025
6.	आशुतोष गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	771/16.07.1984	3630/03.11.2025
7.	हरिजन गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर	30/27.07.1961	3629/03.11.2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नही किया तो बाद में उसका दावा मान्य नही किया जावेगा. तदानुसार समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/अस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 16 नवम्बर 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है.

राजेश मालवीय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षण.

(G-7184)

कार्यालय, परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भीलखेड़ी, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.1.– उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भीलखेड़ी	548 / 07.07.1990	2423 / 11.12.2017

अतः, मैं, राजेन्द्र कुमार राय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूं कि उक्त संस्था / संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना–पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय–प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों / सदस्य / सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

राजेन्द्र कुमार राय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-7185)

कार्यालय, परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अजीतपुर उगाहा, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.1.– उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 71(1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अजीतपुर उगाहा	476 / 29.03.1988	914 / 19.08.2014

अतः, मैं, राजेन्द्र कुमार राय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूं कि उक्त संस्था / संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना–पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारिता, किला परिसर, जिला शाजापुर में मय–प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नही किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों / सदस्य / सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

राजेन्द्र कुमार राय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(G-7186)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2025—अग्रहायण 14, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.